



राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद

डॉ. एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

Phone No- 0141-2711056

Website - www.rajsmsa.nic.in

Email ID- commissionerssarajasthan@gmail.com

क्रमांक: रास्कूलशिप/जय/संस्था-1/एफ-3/विविध/पार्ट-11/2019-20/ 1586)

दिनांक :- 15/10/2020

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिले।
अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समस्त जिले।
मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्त ब्लॉक।
समग्र शिक्षा।

विषय :- संस्थाओं में "हरिजन" शब्द का प्रयोग विलोपित किये जाने के क्रम में।

संदर्भ :- शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.04(2)शिक्षा-1/2019 जयपुर, दिनांक 12.10.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के संबंध में लेख है कि अभी भी विभाग में विद्यालयों में नाम, पते एवं अन्य संदर्भ में "हरिजन" शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। इस संबंध में यदि विभाग में कहीं पर भी "हरिजन" शब्द का प्रयोग हो रहा है तो उसको विलोपित किये जाने एवं अभिलेख में एतदर्थ संशोधन आदेश जारी किये जाने हेतु संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग के द्वारा निर्देश प्रदान किये गये हैं।

आदेश की पालना सुनिश्चित करावें।

संलग्न :- संदर्भित पत्र की प्रति।

अति. राज्य परि. निदेशक-प्रथम
(एम. आर. बोगड़िया)

अति. राज्य परि. निदेशक-प्रथम

दिनांक :- 15/10/2020

क्रमांक: रास्कूलशिप/जय/संस्था-1/एफ-3/विविध/पार्ट-11/2019-20/ 1586)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ :-

1. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, स्कूल शिक्षा, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक-द्वितीय, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
6. अधीक्षण अभियन्ता, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
7. समस्त उपायुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
8. संयुक्त निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

अति. राज्य परि. निदेशक-प्रथम

www.rajteachers.com